औद्योगिक क्षेत्रों की भूमियां आज भी कृषि मद में दर्ज, व्यवसायिक में नहीं

आवासीय, व्यावसायिक, शहरी एवं ग्रामीण निर्धारण के बावजूद गाइड लाइन का नहीं होता पालन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 11 अप्रैल। प्रतिवर्ष नवीन कलेक्टर गाईडलाईन तैयार की जाती है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठकें होती है। प्रस्तावित ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। संबंधित क्षेत्रों की भूमियों के आवासीय, व्यावसायिक, शहरी एवं ग्रामीण, पक्के निर्मित भवन आदि सभी तरह के लैण्ड यूज के अनुसार भूमियों की दरों का निर्धारण किया जाता है। पुरानी गाईडलाईन की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा जाता है।

अंत में जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे सक्षम स्वीकृति से लागू कर दिया जाता है। एक अप्रैल से नई दरें लागू हो जाती हैं। बावजूद इसके कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर न तो विचार किया जाता, न तो आज तक विचार किया ही गया। इस तरह की स्थिति यह दर्शाती है कि गाईड लाईन में कुछ मामलों में किसी को लाभ देने का प्रयास किया जाता तो किसी को नुकसान भी होता है।

व्यावसायिक क्षेत्रों की भूमियां आज भी कृषि भूमियां ही क्यों?:- पन्ना मे जहां सीमेन्ट प्लान्ट सहित अन्य कई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। वहां की भूमियां आज भी कृषि भूमियों के रूप में ही दर्ज हैं। जब भी इन भूमियों को व्यावसायिक उपयोग के लिये निजी कंपनियों द्वारा अधिग्रहण किया गया तो कृषि भूमियों की दरों से किया गया। आज तक इस मामले में न तो किसी ने आवाज उठाई और न ही जिला मूल्यांकन समिति की बैठकों में ही विचार हो पाया कि जिस क्षेत्रों में बड़ी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हुई और किसानों की कृषि भूमियों को अधिग्रहीत किया वहां की भूमियों को कामर्शियल घोषित होना चाहिये। निजी कंपनियों द्वारा ऐसी भूमियों का अधिग्रहण कामर्शियल दरों के रूप में किया जाना चाहिये। किन्तु गाईड लाईन मे इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण किसानो को कृषि भूमियों की दरों से मुआवजे का भुगतान होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। वहीं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले कंपनियों को भारी पैमाने पर लाभ हुआ। अधिग्रहण के दौरान निजी कंपनियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार भूमियों का अधिग्रहण कर लिया। किन्तु किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। यदि गाईड लाईन में विचार किया गया होता तो जिन किसानों की भूमियों का अधिग्रहण किया गया था उन्हें व्यावसायिक दरों पर मुआवजा मिलता। इस तरह की स्थिति यह दर्शाती है कि पूंजीपतियों को लाभ देने के लिये इस तरह की स्थिति पैदा हुई।

15-15 प्रतिशत वृद्धि का मतलब महंगाई की मार

जैसा कि बताया जा रहा है कि नई गाईडलाईन में भूमियों की दरों में 15-16 प्रतिशत वृद्धि होना तय है तो इसका मतलब है कि इस तरह की स्थिति गरीब जनता को महगाई का सरकारी तोहफा है। यदि यही वृद्धि एक या दो प्रतिशत होती तो बात समझ में आती। किन्तु एक साल में ही 15-16 प्रतिशत वृद्धि करना जनता भूमियों की कीमतों में भारी इजाफा का संकेत है। खासतौर पर उन भूमियों को जो शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं, जो आबादी से संबंधित भूमियां हैं। जिसे लोग अपना आसियाना बनाने के लिये क्रय करते हैं। इसका फायदा भूमाफियाओं को हो सकता है। किन्तु आम जनता को नहीं। जहां भूमियों की कीमतें बढ़ेगी तो उसके अनुपात में अन्य अधिभारो में भी वृद्धि होगी। किन्तु इस विषय में अभी तक कोई व्यति या संस्था आवाजा उठाने के लिये तैयार नहीं है।

जहां अब कृषि भूमि ही नहीं वहां भी अभिलेखों में सुधार नहीं

यह भी देखा जाता है कि जहां शहरीकरण हो गया, वर्ग फिट में जमीनों की बिक्री हो रही हो, व्यावसायिक एवं आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमियों की खरीदी की जाती हो वहां भी खसरों में आज तक कृषि भूमियां ही दर्ज है। जबकि वहां न तो खेती हो रही है और न ही होने की संभावना ही है। शहर का ही उदाहरण देखा जाय तो शहर के अंदर कई व्यावसायिक एवं आवासीय प्रयोजनों से संबंधित भूमियां आज भी कृषि भूमियों के रूप में दर्ज है। जब ऐसा होता है तो भूखण्डों की बिक्री भी कृषि भूमियों की दरों से होती है। इससे शासन को भी भारी क्षति होती है। वहीं रही सही कसर फिर पंजीयन विभाग के अधिकारी पूरा कर देते हैं जब कई विक्रय विलेखों में स्थल ही परिवर्तित कर दिया जाता है। ताकि अधिक दरों के स्थान पर कम दरों का रेट लगाया जा सके। पूर्व में ऐसे आदेश भी हुये थे कि शहरी क्षेत्र की भूमियों की बिक्री तभी हो सकती है जब उनका डायवर्सन हो चुका हो। किन्तु बाद में उसका भी पालन होना बंद हो गया। अधिकारी बदल जाते है, जिला प्रशासन के जिलाधिकारी बदल जाते हैं तो उनके आदेशों का फिर पालन होना भी बंद हो जाता है। इस तरह से भूमियों की उपयोगिता एवं वास्तविक स्थितियों को देखते हुये अभिलेखों में भी सुधार होना चाहिये।

मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में अनुभूति कैंप आयोजित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 11 अप्रैल। वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करने तथा पन्ना क्षेत्र के युवाओं का एक्सपोज़र बढ़ाने के उद्देश्य से दक्षिण पन्ना वनमण्डल द्वारा शाहनगर वन परिक्षेत्र में ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए मुकुंदपुर जू एवं व्हाइट टाइगर सफारी में विशेष अनुभूति कैंप एवं एक्सपोज़र विजिट कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में जनरल ड्यूटी असिस्टेंटएवं नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को मुकुंदपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध व्हाइट टाइगर सफारी का भ्रमण कराया गया, जहाँ उन्होंने प्राकृतिक परिवेश में श्वेत बाघों को देखा एवं उनके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। साथ ही, विभिन्न बाड़ों, बटरफ्लाई पार्क, बर्ड एवियरी तथा रेप्टाइल हाउस का अवलोकन कर जैव विविधता की समृद्धता को समझा। शाहनगर रेंज के रेंज ऑफिसर राजुल कटारे द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। इस एक्सपोज़र विजिट में शाहनगर रेंज के विभिन्न ग्राम वन समितियों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अपने एवं पति के आत्मसम्मान के लिए हर न्यायोचित कदम उठाएंगे : श्रीमती चैहान

नवभारत न्यूज

पन्ना, 11 अप्रैल। गत दिनों मड़ला थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान बुजुर्ग दंपति के साथ पुलिस एवं रिटायर्ड डीएसपी के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित जनपद पंचायत पवई की पूर्व अध्यक्ष राजश्री चैहान ने प्रेसवार्ता आयोजित कर अपने एवं अपने पति के साथ हुए दुर्व्यव्हार को लेकर आरोप लगाये हैं।

श्रीमति चैहान ने कहा, 7 अप्रैल को वह अपने पति जो कि सेवानिवृत्त डीएसपी हैं, के साथ ग्वालियर जा रही थीं। इसी दौरान मड़ला थाना के सामने पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। उनके चालक ने वाहन रोक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मी गाड़ी के पास पहुंचे और कथित रूप से अभद्र भाषा में बात करने लगे। थाना प्रभारी ने उनकी लाइसेंसी बंदूक लाइसेंस एवं वाहन जब्त कर लिया गया। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट तथा बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। चैहान ने आरोप लगाया, पुलिस ने उन्हें और उनके 87 वर्षीय पति भरत सिंह चैहान को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पन्ना के न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वह अपने एवं अपने पति के आत्मसम्मान के लिये हर स्तर पर न्याय के लिये जायेंगी और न्याय पाने तक पीछे नही हटेंगी।

नितिन गैस एजेंसी संचालक की मनमानी से उपभोक्ता परेशान, प्रशासन के दावे फेल

नवभारत न्यूज

गुनौर, 11 अप्रैल. वर्तमान में राष्ट्रीय संकट के चलते पर्याप्त मात्रा में समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है । इसी का फायदा उठाकर नितिन गैस एजेंसी गुनौर जिला पन्ना के संचालक द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है । गैस की बुकिंग होने के बाद सिलेंडर मिलने की कोई तारीख उपभोक्ता को नहीं दी जाती है ।

कह दिया जाता है कि जिस दिन गाड़ी आएगी उसी दिन पता कर लेना उपलब्ध रहेगी तो मिल जाएगी । गाड़ी आने की भी तारीख नहीं बताई जाती है । बुकिंग करते समय सिलेंडर दिए जाने वाली पर्ची भी नहीं दी जाती है, कह दिया जाता है कि जिस दिन गैस उपलब्ध होगी उसी दिन पर्ची देंगे ।इससे जरूरतमंद उपभोक्ता रोजाना सुबह से लाइन में लग जाते हैं आज भी सुबह 7 बजे से लाइन में लग गए थे जबकि एजेंसी में ताला लगा हुआ था ।जब संचालक द्वारा अपना कार्यालय खोला जाता है तब कह दिया जाता है कि आज गैस नहीं मिलना है बेचारा उपभोक्ता वापस चला जाता है जिस दिन गैस उपलब्ध रहती है उस दिन भी लंबी लाइन लगाकर सिलेंडर दिए जाने की पर्ची दी जाती है एवं ऐसा एक बंद कमरे में लिया जाता है । वहीं जब लोगों को लाइन में लगाकर सिलेंडर मिलने की पर्ची दी जाती है तब कई लोग लाइन में लगे रहते हैं बाद में कह दिया जाता है गैस खत्म हो गई है । इस प्रकार कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है जिससे उपभोक्ता परेशान न हो ।लोगों ने चर्चा के दौरान बताया कि एजेंसी संचालक ने दलाल लगाकर रखे हैं जो लोग ज्यादा पैसा देते हैं उन्हें उसी दिन गैस सिलेंडर मिल जाता है बाकी जो निर्धारित राशि में लेना चाहते हैं उन्हें कई नियम कायदे बताकर परेशान किया जाता हैं समाचार के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों को इस संकट की घड़ी में नितिन गैस एजेंसी के संचालक की मनमानी पर रोक लगाने के लिए विधिवत नियमानुसार जांच करना चाहिए कि इस एजेंसी संचालक द्वारा घर पहुंचाने की राशि लेकर घर-घर सिलेंडर क्यों नहीं पहुंचाया जाता, निर्धारित राशि से अधिक राशि क्यों ली जाती है, विधिवत् जांच कर कार्यवाही किया जाना जनहित में होगा ।

इनका कहना है

आपके द्वारा नितिन गैस एजेंसी में गड़बड़ियों की जानकारी दी गई है जांच कर कार्यवाही की जाएगी ।

नरेंद्र कुमार धुर्वे
एस डी एम गुनौर

फर्जी वीडियो से छवि धूमिल करने का आरोप, कहा न्याय के लिये डीजीपी से लेकर कोर्ट तक जाऊंगा : तिवारी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 11 अप्रैल। सवर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी ने यूट्यूब पर प्रसारित एक वीडियो को फर्जी और भ्रामक बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलत तरीके से एडिट कर प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनकी सामाजिक छवि को गहरा नुकसान पहुँचा है।

श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके निजी वीडियो को काट-छाँट कर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। तिवारी ने इसे एक सोची-समझी साजिश करार देते हुए कहा कि इसमें उनके कुछ विरोधियों की भी भूमिका हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एडवोकेट के माध्यम से संबंधित पक्ष को मानहानि का नोटिस भेजा जा चुका है।

वीडियो की सच्चाई पर स्पष्टीकरण - वीडियो में किए गए दावों को नकारते हुए तिवारी ने कहा कि शराब का सेवन वीडियो में शराब पीने का दावा गलत है। असल में शराब का गिलास बगल में दूसरे व्यक्ति की कुर्सी के सामने रखा था, जबकि वे दूर दूसरी कुर्सी

पर बैठकर मोबाइल चला रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उनका मोबाइल हैक कर उनके पर्सनल नंबर से अनर्गल चैटिंग की गई, जिसके साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। इसी चैटिंग को बाद में वीडियो में जोड़कर वायरल किया गया। वहीं तिवारी ने आरोप लगाया कि पन्ना की एक महिला पत्रकार ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है।

प्रशासनिक निष्क्रियता पर नाराजगी

अजय तिवारी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पन्ना की एडिशनल एसपी वंदना चैहान को लिखित शिकायत दी है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो वे पुलिस अधीक्षक पन्ना डीजीपी मध्यप्रदेश और मुख्यमंत्री तक गुहार लगाएंगे। प्रेसवार्ता के अंत में उन्होंने कहा कि यदि समय पर सुनवाई नहीं हुई, तो उनका संगठन आंदोलन और प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लागू हो ताकि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति की छवि के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो सके।

रूंझ एवं मझगांय बांध परियोजना क्षेत्र की 5 किमी परिधि में धारा 163 प्रभावशील

नवभारत न्यूज

पन्ना, 11 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर तत्काल प्रभाव से रूंझ एवं मझगांय बांध परियोजना क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।

क्तादेश 8 अप्रैल 2026 से दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अजयगढ़ अनुभाग अंतर्गत रूंझ एवं मझगांय बांध परियोजनाओं के शासकीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अजयगढ़ द्वारा अवगत कराया गया था कि अमित भटनागर द्वारा विगत 5 अप्रैल को पन्ना के डायमंड चैक पर प्रदर्शन करने के पश्चात दिल्ली जाने के स्थान पर छतरपुर स्थित केन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माणाधीन दौधन बांध पर ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दौधन बांध की तर्ज पर ही अजयगढ़ क्षेत्र की रूंझ एवं मझगांय परियोजनाओं में भी भीड़ एकत्रित कर निर्माणाधीन कार्य को जबरन रूकवाया जा सकता है। इससे शासकीय संपत्ति को भारी नुकसान सहित कानून व्यवस्था बिगड़ना भी संभावित है। अब बांध परियोजना क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति नारेबाजी नहीं करेगा एवं न ही आम शांति भंग कर बांध परियोजनाओं के कार्य में बाधा उत्पन्न की जाएगी।

फुलवारी के बाद अब देवेंद्रनगर तक रेल ट्रायल की तैयारी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 11 अप्रैल। पन्ना जिले में नागौद-फुलवारी तक ट्रायल रन के बाद अब 25 अप्रैल तक फुलवारी से देवेंद्रनगर तक ट्रायल रन की तैयारी की जा रही है। सतना-पन्ना रेल परियोजना में तेजी से काम चल रहा है। 74 किलोमीटर नई रेल लाइन में से 45 किमी ट्रैक का काम पूरा हो चुका है।

फुलवारी में देवेंद्रनगर के बीच 12 किमी का मार्च माह में ट्रायल रन किया गया। फुलवारी से देवेंद्रनगर तक का काम भी पूरा हो चुका है। 25 से 30 अप्रैल के बीच ट्रायल रन किया जा सकता है। फुलवारी से देवेंद्रनगर के बीच 7 किमी तक रेल लाइन का काम पूरा हो गया है। ट्रायल रन की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। 25 से 30 अप्रैल के बीच ट्रेन पहली बार देवेंद्रनगर ट्रायल किये जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रेलवे का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 में ही देवेंद्रनगर से सकरिया तक के रेल लाइन के काम पूरा होने की संभावना है।

आज अवरुद्ध रहेगा विद्युत प्रदाय

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड संभाग पन्ना अंतर्गत रविवार, 12 अप्रैल को वितरण केन्द्र पन्ना शहर के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय बंद रहने के संबंध में सूचित किया गया है। बताया गया है कि 33/11 केव्ही उपकेन्द्र धरमसागर पन्ना शहर में गर्मी के सीजन एवं उपभोक्ताओं की सुविधा के दृष्टिगत पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर 5 एमवीए से 10 एमवीए का कार्य किया जाना है। इस कारण दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक विद्युत प्रदाय अवरुद्ध रहेगा। कार्य की आवश्यकतानुसार समयावधि घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

पन्ना-सतना बॉर्डर वनक्षेत्र में मिला तेंदुए का शव

मौत के कारणों की होगी जांच

नवभारत न्यूज

पहाड़ीखेरा, 11 अप्रैल। पहाड़ी खेरा से तकरीर 5, 6 किलोमीटर दूर पन्ना-सतना जिले के बॉर्डर पर एक वन प्राणी तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा मिला जिसकी जानकारी पहाड़ी खेरा सहायक वन क्षेत्र अधिकारी बनकर्मी वीट गाडो को दी गई जानकारी मिलते ही स्थानीय बन अमला मौके पर पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वन्य प्राणी के मृत्यु की जानकारी दी गई।

इसके उपरांत वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र नगर के द्वारा बरौधा वन परिक्षेत्राधिकारी से संपर्क कर जानकारी प्रदान की गई जिसके चलते बरौंधा वन,परि क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच करते हुए पंचनामा बनाया कानूनी कार्रवाई करते हुए वन्य प्राणी का अग्नि संस्कार कर दिया गया

सड़क दुर्घटनाओं में भी वन्यप्राणियों की हो रही मौत - गौरतलब है की सतना बांदा मुख्य सड़क मार्ग पर 24 घंटे गुजर जाने के उपरांत पहाड़ी खेरा वन विभाग के द्वारा जानकारी देने पर सतना जिला के कौहारी वन परिक्षेत्र सहायक को जानकारी हुई जन चर्चा के अनुसार वन प्राणियों के साथ ऐसी एक्सीडेंट की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं इस मार्ग पर अधिकतर 24 घंटे भारी वाहनों का आना-जाना बना रहता है सतना व पन्ना जिले के वन विभाग के आला अधिकारियों को कोई ठोस रणनीत के तहत कार्य किया जाना चाहिए जिससे वन प्राणियों की एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से हो रही मौतो पर विराम लगाया जा सके।

गांव चलो अभियान के तहत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान

नवभारत न्यूज

अजयगढ़,11 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे गाँव चलो अभियान के तहत दिनांक 11 अप्रैल 2026 को भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने खून-पसीने से पार्टी को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी श्री मन्त्री लाल सेन तथा जगदीश प्रसाद गुप्ता को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के साथ ही गाँव चलो अभियान की औपचारिक शुरुआत भी की गई। कार्यक्रम में अजयगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता सरोज गुप्ता, शीलू श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष सुरेश यादव, मंडल अध्यक्ष राजबहादुर, चतुरेश सेन, सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

टीईटी के विरोध मे शिक्षक संयुक्त मोर्चा ब्लॉक इकाई अजयगढ़ ने सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 11 अप्रैल। आज अजयगढ़ में में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपाक तिवारी मध्य प्रदेश राजपत्रित संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता एवं आज़ाक अध्यापक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण कुमार पांडे के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन के नाम तहसीलदार अजयगढ़ को 2009 के पूर्व नियुक्त शिक्षको को टी0 ई0 टी0 परीक्षा को रद्द करने एवं सर्वोच्च न्यायालय मे पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए सैकड़ो शिक्षकों द्वारा ज्ञापन दिया गया।

जिन शिक्षकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है उन्होंने मांग की है कि 2009 के पूर्व हम स्कूल शिक्षा विभाग की हमारी नियुक्ति के समय जो सेवा शर्ते एवं योग्यताये निर्धारित की गई थी। उस समय उन्हे पूरा करने के बाद सेवा मे आकर 20 से 25 वर्षो की लगातार शिक्षक रहते सेवाएं दे रहे है और आज जब हम 50 वर्ष से 52 कार्ष की आयु पूरी कर चुके है । तब् प्रकृतिक नियमों के विरुद्ध हमे टी0 ई0 टी देने लिए कहा जा रहा ,जो हमारे सम्मान के विरुद्ध है ।

नहीं खुलती उचित मूल्य दुकानें, विक्रेताओं के नहीं लगते फोन, नकली फोन नंबरों का प्रदर्शन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 11 अप्रैल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिकांश उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नहीं हो रहा है। कई दुकानों में या तो ताले लटके हुए हैं अथवा विक्रेता जानबूझकर दुकानें नहीं खोल रहे हैं।

शासन के निर्देश हैं कि उचित मूल्य दुकानों का संचालन नियमित रूप से होना चाहिये एवं चालू माह का खाद्यान्न शत प्रतिशत वितरित किया जाना चाहिये। यदि वितरण नहीं हो पाता और किसी भी उपभोक्ता को खाद्यान्न नहीं मिलता तो उसका वितरण अगले महीने के कोटे से नहीं किया जायेगा।

यही कारण है कि खाद्यान्न की चोरी एवं कालाबाजारी करने वाले कई विक्रेता अब दुकानें ही नहीं खोल रहे हैं। लिहाजा उपभोक्ता दुकानों तक जाता है और वहां से वापस लौट आता है।

अधिकारियों का निरीक्षण बंद - यह भी देखा जाता है कि खाद्य विभाग के जिन अधिकारियों को दुकानें आवंटित की गई हैं वहां उन्हें नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिये। वहां औचक निरीक्षण भी करना चाहिये। यदि शिकायतें मिलती हैं तो ऐसे विक्रेताओं की दुकानों की जांच कर कार्रवाई करनी चाहिये। किन्तु देखा जा सकता है कि खाद्य विभाग के अधिकारी उचित मूल्य दुकानों तक कभी नहीं जाते। वे तभी जाते हैं जब ऊपर से कोई आदेश होता है।

दुकानों में लटकाए गए हैं फर्जी मोबाइल नम्बर

शासन के आदेशों का पालन करने के लिये विक्रेताओं ने अपनी दुकानों में अपने मोबाईल नम्बर भी प्रदर्शित करते हैं। किन्तु देखा जाता है कि जो मोबाईल नम्बर दुकानों में सार्वजनिक रूप से बोर्ड में लिखकर लटकाये जाते हैं उनमें उपभोक्ता की या तो बात ही नहीं होती अथवा किसी थर्ड पार्टी का नम्बर बताया जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार उपभोक्ता जब विक्रेता के बारे में उसे पूंछता है तो बातचीत तक हो जाती है। आखिर किसी अन्य व्यक्ति का फर्जी नम्बर यदि दुकान में प्रदर्शित किया जायेगा तो बार-बार जब कोई उपभोक्ता उस नम्बर पर काल करेगा तो वह गाली ही खायेगा। इस तरह से देखा जा सकता है कि उचित मूल्य दुकानों की वितरण व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो रही है।

इसलिए बढ़ती हैं शिकायतें

जब नियमित रूप से दुकानें नहीं खुलती, जब उपभोक्ता को समय पर खाद्यान्न नहीं मिलता तो वह शिकायत करता है। सीएम हेल्पलाईन में इस तरह की कई शिकायतें बढ़ती चली जाती हैं। किन्तु यहां यह भी देखा जाता है कि उन शिकायतों का समुचित तरीके से निराकरण भी नहीं किया जाता। बल्कि शिकायतकर्ता को ही डरा धमकाकर शिकायतों को बंद करवाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से भी जब नहीं हो पाता तो फिर शिकायतों को फोर्स क्लोज करवा दिया जाता है। वर्तमान समय पर खाद्य विभाग में यही खेल चल रहा है।